भारत सरकारकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या ：706

（दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए）

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शिकायतों के समयबद्ध निपटान की नीति

**706. डॉ० जनार्दन वाघमरे :**

क्या प्रधान मंत्री दिनांक 3 मई, 2012 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2993 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी शिकायतों के समयबद्ध निपटान की नीति के अनुसार, शिकायत क्र. 579/11/8 और एक अन्य शिकायत जिसे दर्ज कराकर 16 सितंबर, 2011 के ओ.एम. सं. 011/एमसीडी/043-145090 के द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सीवीओ को भेजा गया और तत्पश्चात् एक अन्य शिकायत जिसे 20 जनवरी, 2012 के आयोग ओ.एम.सं. 011/एमसीडी/043-162379 के द्वारा डीडीए के सीवीओ को भेजा गया, का कोई तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं दे सका;

(ख) क्या ऊपर बताई गई शिकायतों में वर्णित मामलों के साथ पुष्टि करने वाले प्रमाण भी लगाए गए हैं; और

(ग) क्या सीवीसी द्वारा अपनाए गए इस प्रकार के उदासीन रवैये से शिकायतकर्ताओं के मस्तिष्क में निराशावाद उत्पन्न नहीं होगा ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) एवं (ख) : संबंधित संगठनों के सीवीओ को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा भेजी गई या सीवीओ द्वारा सीधे प्राप्त एवं जांच के लिए ली गई शिकायतों की जांच के लिए समय-सीमा को आयोग के दिनांक 23.05.2000 के परिपत्र सं. 000/वीजीएल/018 में स्पष्ट रूप से से निर्धारित की गई है ।

जहां तक आवश्यक कार्रवाई के लिए सीवीसी द्वारा भेजी गई शिकायतों का संबंध है, सीवीओ से शिकायत प्राप्ति के एक माह के भीतर या तो जांच दर्ज करने या जांच प्रारंभ करने संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है । शिकायत सं. 579/11/8 के संबंध में जिसमें आरोप लगाया गया है कि सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली में सर्वप्रिय क्लब की बिल्डिंग अनधिकृत है तथा क्लब को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस बिना अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जारी किया गया है, उक्त को अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीवीसी द्वारा दिनांक 09.05.2011 के आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं. 011/एमसीडी/043 द्वारा एमसीडी, डीडीए तथा जीएनसीटीडी के सीवीओ को भेजा गया था । आरोप लगाने वाली एक और शिकायत कि बिल्डिंग पर नोटिस भेजने के पश्चात् भी बिल्डिंग पर एएसआई ने कोई कार्रवाई नहीं की है, पर आयोग के दिनांक 16.09.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 011/एमसीडी/043 द्वारा सीवीओ, संस्कृति मंत्रालय की टिप्पणियां भी मांगी गई थीं । इसके अतिरिक्त, इस संबंध में दिनांक 12.12.2011 की शिकायत को भी दिनांक 20.01.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 011/एमसीडी/043/162379 द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए सीवीओ, डीडीए को भी भेजा गया था ।

डीडीए ने यह सूचित करते हुए दिनांक 23.09.2011 के अपने पत्र द्वारा रिपोर्ट की थी कि क्षेत्र एमसीडी को अंतरित कर दिया गया है तथा इस मामले में डीडीए की कोई भूमिका नहीं है । एमसीडी ने यह सूचित करते हुए दिनांक 07.12.2011 के अपने पत्र द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि हेल्थ ट्रेड लाईसेंस को बिल्डिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भी प्राप्त किया जा सकता है तथा इसलिए, आरोप सिद्ध नहीं हुआ । फिर से शिकायत प्राप्त होने पर, आयोग को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 28.3.2012 को सीवीसी द्वारा एमसीडी को परामर्श दिया गया है ।

जीएनसीटीडी से भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सर्वप्रिय क्लब को शराब लाइसेंस सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने तथा सक्षम प्राधिकारी के विधिवत अनुमोदन सहित सत्यापनों के पश्चात् प्रदान किया गया था तथा उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से कोई अनियमितता/विसंगति नहीं हुई है ।

(ग) : घटनाओं का कालक्रम सीवीसी की ओर से किसी उदासीन रवैये को नहीं दर्शाता है ।

\* \* \* \* \*